XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रेस्टो.2255–दो/15 जिला–शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–7–15	प्रकरण शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर आज प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री एस.पी.धाकड, अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
3–8–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया। विचारोपरान्त रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण कमांक विविध 1011–दो/12 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

-प्र.क.   /2015 रेस्टो.

रेस्टो॰ 2255-II-15

अतुल तिवारी पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम बरकौड़ा तह. गोहपारा जिला शहडोल

——— आवेदक

विरूद्ध

1. रामरतन पुत्र गिरधारी गुप्ता
2. रामखिलावन पुत्र गोबिन्द गुप्ता निवासी ग्राम खन्नोदी तह. गोहपारा जिला शहडोल म.प्र.

——— अनावेदकगण

एस. पी. 16/07/15

संहिता की धारा 35(3) के अधीन आवेदन पत्र वास्ते मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत्

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त विविध प्र.क. 1011/2012 में पेशी दिनांक 27.03.2015 में नियत थी। आवेदकगण के अभिभाषक ग्वालियर से बाहर गये थे। जिसके लिये सहयोगी अभिभाषक श्री डी.एस चौहान को दूर भाष पर अवगत कराया कि मेरे प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में नियत है। उन्हें अवगत करा देना कि नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थिती मानकर संहिता की धारा 35(2) अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

2. यह कि, प्रकरण को अनुपस्थिती के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। परन्तु अभिभाषक की त्रुटि नहीं मान सकते हैं क्यों कि, प्रकरण में आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्वालियर से बाहर अचानक जाना पड़ा जिसकी सूचना माननीय न्यायालय को अपने साथी अभिभषक श्री डी.एस. चौहान के माध्यम से भिजवादी गई है। फिर भी मान. न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थित के कारण निरस्त करने में महान वैधानिक भूल की है। इसकी सूचना आवेदक को नही दी गई इस कारण उक्त आवदेन पत्र समय सीमा में होने से मूल प्रकरण पुन नं. पर लिया जाना न्योयोचित होगा।

3. यह कि, आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पेरवी में संहिता की धारा 35 (2) के अधीन निरस्त कर दिया गया है। इस कारण प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर पारित किया जाना उचित है।

4. यह कि, आलौच्यि आदेश दिनांक 27.03.2015 की जानकारी सर्वप्रथम न्यायालय में अदम पैरवी में निरस्त करने की लिष्ट चस्पा करने पर ज्ञात हुआ। इस कारण आवेदन पत्र सदभाविक होने से ग्राहय योग्य हैं।

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि, प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए अदम पैरवी में पारित आदेश दिनांक 27.03.2015 निरस्त करते हुए मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकरण प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर पारित करने की कृपा करें।

स्थान :— ग्वालियर

आवेदक

अतुल तिवारी
द्वारा अभिभाषक

दिनांकः— 16.07.2015